



क्रमांक:—एफ—1(06)पीएस / आकाशि / 2020 / पार्ट—I / 796

दिनांक:— 02-09-2021

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 की प्रतीक्षा सूची में चयनित/आवंटित 01 अभ्यर्थी को जिला एवं महाविद्यालय/कार्यालय आवंटन के सम्बन्ध में सूचना

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 की प्रतीक्षा सूची से प्राप्त चयनित/आवंटित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (1) प्र.सु./अनु.-3/2020 दिनांक 30.07.2021 द्वारा 01 (Non- TSP) अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है।

निर्देशानुसार इस अभ्यर्थी को मैरिटवार जिला एवं महाविद्यालय/कार्यालय आवंटनार्थ काउंसलिंग की जानी है। अतः निम्न सूची में अंकित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग हेतु व्यक्तिशः आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर (ब्लॉक नं.-4 शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर) की तीसरी मंजिल स्थित संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के कक्ष में उपस्थित होकर इस पत्र के साथ संलग्न विकल्प पत्र (नियुक्ति हेतु जिला एवं महाविद्यालय का विकल्प पत्र, विभाग में उपलब्ध कनिष्ठ सहायक पद की गृह जिले की रिक्तियों में से भरकर) एवं आवश्यक घोषणा पत्र/शपथ-पत्र (प्रपत्र ए से एफ) पूर्ण कर दिनांक 13-09-2021 को प्रातः 11.00 बजे आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित एवं मूल प्रति सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:—

क्र. स.	नाम	पिता का नाम (श्री)	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी	गृह जिला	स्थाई पता
1	अंकित मूथा	ओमप्रकाश मूथा	07-06-1991	पुरुष	Gen.	नागौर	मूथों की बारी के बाहर, माही दरवाजा के पास, नागौर- 341001

निर्देशानुसार काउंसलिंग कार्य निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अधीन सम्पन्न होगा –

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति-पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयताक्रम से, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा ।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाकर रिक्तियों के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण किया जायेगा ।
3. नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नी हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, में पदस्थापन किया जायेगा । इसी प्रकार पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में जिस जिला/जिले में स्थान में पदस्थापित हों, उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिला/जिले में स्थान में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जायेगा ।
4. यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति/पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हों/अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला/जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला/जिले में स्थान, जैसी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा ।
5. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर काउंसलिंग हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेगी ।

निर्धारित तिथि को यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो उस अभ्यर्थी का मुल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर को आगामी कार्यवाही हेतु लौटा दिया जायेगा ।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाएं विभागीय वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in पर Department of college education के Circulars

लिंक पर अपलोड की जायेगी। अतः अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट के hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/Circulars.php लिंक का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करें।


संलग्न :

1. नागौर जिले में महाविद्यालयवार कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की सूची।
2. विकल्प पत्र का प्रपत्र।
3. आवश्यक घोषणा पत्रों/शपथ पत्रों की प्रति।


(संदेश नायक)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—'

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर।
4. वेब साइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर— इस सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

 2.9.2021
(डॉ के.एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
**गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP) के महाविद्यालयों/कार्यालयों में कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों
 की सूची (नागौर जिले की)**

क्रम संख्या	जिला	जिले में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की संख्या	जिले में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों का वितरण	महाविद्यालय / कार्यालय का नाम
1	नागौर	5	1	राजकीय महाविद्यालय, खींवसर
			2	राजकीय महाविद्यालय, मेडतासिटी
			3	राजकीय महिला महाविद्यालय, नागौर
			4	राजकीय महिला महाविद्यालय, नागौर
			5	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर

5

47

2.9.2021

(डॉ. के.एल. सिराधना)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा

राजस्थान, जयपुर

**कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति हेतु जिला एवं महाविद्यालय/कार्यालय आवंटने हेतु
विकल्प पत्र**

रोल नम्बर -----

मेरिट नम्बर -----

चयन वर्ग ----- (नॉन-टीएसपी)

क्र० सं०	चाही गई सूचना	विवरण	
1	अभ्यर्थी का नाम		
2	पिता का नाम		
3	जन्म दिनांक		
4	गृह जिला		
5	कॉलेज शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित सभी जिलों में महाविद्यालय/ कार्यालय के नाम प्राथमिकता कम से	जिले का नाम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
6	विशेष विवरण, यदि अन्य कोई है तो		

अभ्यर्थी के हरताक्षर मय दिनांक-----
स्थायी पता मय मोबाइल -----

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्रम	दस्तावेज का नाम	सत्त्वन कर दिया गया है (हॉ / नहीं)
1	सैकण्डरी परीक्षा संबंधी	
2	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा संबंधी	
3	स्नातक परीक्षा संबंधी	
4	अधिरनातक परीक्षा संबंधी	
5	अन्य योग्यता संबंधी	
6	कम्प्यूटर योग्यता (आर.एस.सी.आई.टी.) संबंधी	
7	जाति प्रमाण पत्र	
8	आय उद्धोषणा पत्र	
9	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
10	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो)	
11	विवाह प्रमाण पत्र / शपथपत्र	
12	दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक रान्तान होने / न होने का शपथपत्र	
13	दहेज न लेने संबंधी शपथपत्र	
14	धन्धपान / गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी शपथपत्र	
15	विधवा / परित्यक्ता महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथपत्र (50 रु के नॉन ज्यूडिशियल रसाम पर)	
16	पत्र व्यवहार का पता	
17	मूल निवास प्रमाण पत्र	
18	पते का प्रमाण पत्र (यथा बिजली, पानी, टेलिफोन के विल, आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस)	

नोट - यहाँ दस्तावेज सूची में अकित क्रमानुसार मूलप्रति व सत्यापित प्रति का व्यवस्थित है।

परमाम्

(50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्ट्राप्स पर)

(विवाह शपथ पत्र)

प्रपत्र

मेरा पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती निवासी शपथपूर्वक दस्तावेज़ करता
हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती / श्री निवासी के साथ सम्पन्न
हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने रो पूर्व दिनाक
कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती / श्री निवासी के साथ दिनाक
को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है
या

अद्वेषाहित हूँ।

या

विधुर / विवाह हुए पत्नी / पति श्री / श्रीमती
या

न पत्नी के शुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मेरी विवाह सम्पन्न हूँ एव मेरा विवाह श्री के साथ दिनाक
सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर शिखकर्णी



परिशिष्ट - सी

(50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

शपथपत्र

मैं

ज्ञा/पत्री

एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि -

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या थी-

क्र.सं.	नाम	जन्म दिनांक
1		
2		
3		
4		

1. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में बच्चों (पुत्र व पुत्री) की कुल संख्या है-

क्र.सं.	नाम	जन्म दिनांक
1		
2		
3		
4		

रथन:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर शपथगृहिता

नाम.....
पता.....

नोट - जो लागू नहीं हां उसे काट दें।

-सत्यापन-

मैं उपरोक्त शपथगृहिता शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र के पैरा 1 से 2 मेरी जानकारी में राही एवं सत्य है, इसमें कोइ गलत छिपाया नहीं गया है एवं न ही असत्य है, अतः ईश्वर मेरी रहायता करे

हस्ताक्षर शपथगृहिता

(50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र

मैं.....

पुत्र/पुत्री श्री.....

निवारणी

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अभिरक्षावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक

वालों ने न तो दहेज लिया है/ न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज के लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/ न्यायालय में दर्ज करवाई जाती हैं तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी जिम्मेदार रहूँगा।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-

(नाम

घोषणाकर्ता

साक्षी-

वधु पक्ष की ओर से-

1. हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

2. हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

वर पक्ष की ओर से-

1. हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

2. हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

परिशिष्ट

(50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

अविवाहित आयर्थी द्वारा प्रत्युत किया जाने वाला दहेज नहीं लेने सकधी शपथ पत्र

मे.....

पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि कर्मचारी चयन
बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में
कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हेतु अभिस्तावित किया गया हूं।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ हैं और भविष्य में जब होगा तब मैं या
मेरे घर वाले न तो दहेज देगें/ न ही दहेज लेगे। भविष्य में दहेज लिए
जाने के संबंध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत
विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती हैं तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने
का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी जिम्मेदार
रहूंगा।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-

(नाम

घोषणाकर्ता

साक्षी-

1 हस्ताक्षर

नाम

पता

2 हस्ताक्षर

नाम

पता

(50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित करावें)

चरित्र सत्यापन शपथ-पत्र

मैंपुत्र/पुत्री श्री
आयुजातिनिवासी
शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मेरा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है।
2. यह कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक/न्यायिक प्रकरण किसी भी थाना/न्यायालय में दर्ज नहीं है और न ही प्रकरण विचाराधीन है।
3. यह है कि मेरी उक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में भविष्य में पुलिस विभाग द्वारा मेरा चरित्र सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर मेरी अधिकार आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को पूर्ण रूप से होगा।
4. यह है कि शपथ पत्र मैं मेरे चरित्र/पुलिस सत्यापन उत्तम होने के अध्याधीन उक्त नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गये हैं जिसके लिये मैं स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर :

(नाम-----)

घोषणाकर्ता